डेयरी पशु विकास कार्यक्रमः–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में उपलब्ध दुधारू पशुओं (गाय एवं भैंस) के कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार तथा उत्पादकता वृद्धि के लिये कार्य किया जाता है। इस हेतु बायफ(Bharat Agro Industries Foundation) डेवलपमेंट रिसर्च फाउन्डेशन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है तथा 10–15 ग्रामों के क्लस्टर में 1–1 डेयरी पशु विकास केन्द्र की स्थापना कर इसे संचालित कराया जा रहा है। उक्त केन्द्र पर पाँच वर्षों तक अनावर्ती तथा आवर्ती व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी तत्पश्चात् यह केन्द्र सेवा शुल्क की राशि से संचालित होगा। यह सुविधा पशु पालकों को ग्राम स्तर पर घर पहुँच सेवा के रूप में देशी गायों की लिये 20/– रु. संकर गाय एवं भैंस के लिये 40/– रु. तथा उन्नत नस्ल की गाय के लिये प्रमाणित सांढ़ का बीज 80/–रु. प्रति डोज पर उपलब्ध है।

2. पात्रता – ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक/कृषक

3. शुल्क – पाँच वर्षो तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान तत्पश्चात देशी गायों के लिए 20/– रूपये, संकर गाय एवं भैंसों के लिए 40/– रूपये तथा उन्न्त नस्ल की गाय के लिए 80/– प्रति डोज।

4. किनसे संपर्क करें – संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (गव्य विकास) ।

5. किसी तरह की शिकायत होने पर गव्य विकास निदेशालय, नेपाल हाउस डोरंडा राँची को सूचित कर सकते हैं।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)